



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2012/चैत्र 28, 1934

No. 695]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2012/CHAITRA 28, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2012

का.आ. 835(अ).— नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 44) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू.टी.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार और श्री धरमपाल, आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सदस्य के रूप में नामित करती हैं एवं श्री अजय माकन, संसद सदस्य को सदस्य के रूप में अधिसूचित करती हैं और इस प्रयोजनार्थ, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 101 (असाधारण) दिनांक 18 जनवरी, 2011 में, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रभावी, निम्नलिखित अगला संशोधन करती हैं:-

उक्त अधिसूचना के पैरा सं 04 में

(क) उप पैरा (ग) में मद संख्या (i) और (iv) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगीं, अर्थात् :-

- “(i) श्री के. के. पाठक
संयुक्त सचिव (यू टी)
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

- (IV) श्री धरमपाल,
आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार”;

(ख) उप पैरा (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ड) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के तहत श्री अजय माकन, संसद सदस्य, नई दिल्ली, सदस्य होंगे”;

[फा. सं. 14011/48/20110-दिल्ली-II]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 101 (असाधारण) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात दिनांक 24 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1453 (असाधारण) तथा दिनांक 14 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 1628 (असाधारण) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2012

S.O. 835(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri K. K. Pathak, Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, Government of India and Shri Dharampal, Commissioner, Food and Civil Supplies Department, Government of National Capital Territory of Delhi; and notifies Shri Ajay Maken, Member of Parliament as members of the New Delhi Municipal Council, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government

of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O.101(E), dated the 18th January, 2011, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in paragraph 4, -

(a) in sub-paragraph (c), for item numbers (i) and (iv) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely: -

“(i) Shri K. K. Pathak

Joint Secretary (UT)
Ministry of Home Affairs
Government of India

(iv) Shri Dharampal
Commissioner
Food and Civil Supplies Department
Government of National Capital Territory of
Delhi”;

(b) for sub-paragraph (e), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(e) under clause (e) of sub-section (1) of section 4, Shri Ajay Maken, Member of Parliament, New Delhi shall be a member;”.

[F. No. 14011/48/2010-Delhi-II]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S. O.101 (E), dated the 18th January, 2011 and subsequently amended vide number S.O.1453 (E), dated the 24th June, 2011 and number S.O.1628(E), dated the 14th July, 2011.